उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 09 / ।।।(1)–संविदा दैनिक वेतन नियमितीकरण(5वर्ष)– ।।। सूची–15 दिनांक 16 अप्रैल,2015

1– मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

2– समस्त सहायक महाप्रबन्धक(डिपो)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून, नैनीताल क्षेत्र।

विषयः– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 30–12–2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30–12–2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा कार्मिकों को उनकी आयु में शिथिलता प्रदान किये जाने उपरान्त विनियमितीकरण किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक निगम मुख्यालय के पत्रांक 386 / ।।।(1)–संविदा दैनिक वेतन नियमितीकरण(5वर्ष)–14 सूची–15 दिनांक 19 जनवरी,2015 के द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 30–12–2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30–12–2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु विस्तृत प्रतिबन्धो के साथ अनापत्ति / आपत्ति दी गयी थी। इसके अतिरिक्त जिन कार्मिको की आयु सीमा अधिक थी, के सम्बन्ध में तत्समय मुख्यालय समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि सक्षम स्तर से आयु में छूट प्रदान किये जाने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्णय के अनुपालन में शासन से अनुमति प्राप्त की गयी।

सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 114 / 2015 / 32 / IX / 2011 दिनांक 25 मार्च,2015 के द्वारा दिनांक 30–12–2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30–12–2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि शासनादेश संख्या 17 / 2014 / 32 / IX / 2011 दिनांक 7 फरवरी,2014 के प्रस्तर–2 के बिन्दु संख्या– (1) में स्थिति स्पष्ट की गयी है, के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के बिन्दु संख्या– (1) में उल्लिखित है कि ऐसे संविदा कार्मिक जिनकी नियुक्ति के समय जिनकी आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक थी, लेकिन उनके द्वारा निरन्तर संविदा कार्मिक के रूप में कार्य किया गया है तथा वर्तमान में भी वह संविदा कार्मिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है।

मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आपके स्तर से प्रेषित सम्बन्धित संविदा कार्मिको के प्रस्तावो के परीक्षणोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैः–

1– संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित मण्डलीय प्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक उनके सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कर लें एवं विनियमितीकरण नियमावली–2013 में दिये गये प्राविधानों अर्थात नियम 4 (1) (2) (3) (4) की परिधि में विनियमितीकरण प्रस्ताव का पुनः सत्यापन कर लिया जाय। आप द्वारा विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों के विरूद्व किसी भी अनियमितता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) संयुक्त रूप से उत्तरदायी समझे जायेगें।

2– उपरोक्त क0सं0–1 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये है अथवा दाखिल किये जायेगें वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरूद्व अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। संविदा कार्मिको द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जायें वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित (तिथि के साथ) किये जायें।